

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807] No. 807] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2, 2016/चैत्र 13, 1938

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2, 2016/CHAITRA 13, 1938

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2016

का.आ. 1295(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (क) के अधीन नियुक्त:-

(1) श्री सुरिभ भूम राव,प्लॉट सं. 9, मैनी एन्कलेव,जे जे नगर, यपराल,

—अध्यक्ष

सिकंदराबाद, तेलंगाना

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (ख) के अधीन नियुक्त:-

(2) मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) श्रम और रोजगार मंत्रालय.

—सदस्य-पदेन

1638 GI/2016 (1)

	श्रम शक्ति भवन,	
	रफी मार्ग, नई दिल्ली	
उक्त अ नियुक्त	मधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त निय :-	मि के नियम 3 के खंड (ग) के अधीन
(3)	महानिदेशक (श्रम कल्याण) श्रम और रोजगार मंत्रालय,	—सदस्य
	जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली-110011	
(4)	रिक्त	—सदस्य
(5)	रिक्त	—सदस्य
उक्त अ नियुक्त	ाधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त निय :-	म के नियम 3 के खंड (घ) के अधीन
(6)	रिक्त	—सदस्य
(7)	रिक्त	—सदस्य
उक्त अ नियुक्त	ाधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त निय :-	म के नियम 3 के खंड (ड.) के अधीन
(8)	श्री आर मोहन दास,	—सदस्य
	निदेशक(कार्मिक और औद्योगिकी संबंध),	
	कोल इंडिया लिमिटेड, 10, नेताजी सुभाष मार्ग,	
	कोलकाता-700001	
(9)	श्री सितांशु प्रसाद,	—सदस्य
	कार्यकारी निदेशक(कार्मिक और प्रशासन),	
	स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,	
	इस्पात भवन, लोधी रोड़,	
	नई दिल्ली-110003	
(10)	श्री एच.एस. पश्रिचा,	—सदस्य
	अध्यक्ष, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (दिल्ली केन्द्र)	
	शहरी विकास मंत्रालय	

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (च) के अधीन नियुक्त:-

—सदस्य

—सदस्य

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

रिक्त

रिक्त

(11)

(12)

श्री रखल दास गुप्ता, (13)—सदस्य महा सचिव, पूर्वोत्तर फ्रंटीयर रेलवे मजदूर यूनियन, पांडू, गुवाहाटी-781012 श्री बी.सी.शर्मा, (14)–सदस्य सह महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन 17-बी, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-110 055 डा. विवेक मोनटेरियो, (15)–सदस्य सचिव. मुंबई श्रमिक संघ का कार्यालय, क्यूरी मार्ग, भांडुप, मुम्बई-400078 श्री ब्रिज बिहारी शर्मा, (16)–सदस्य भारतीय मजदूर संघ, बुदिदिहा, सीटीपीएस मार्ग, दुगदा, जिला बोकारो, झारखंड श्री राजेंद्रो प्रसाद सिंघा, (17)–सदस्य महा सचिव, हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (हिंद मजदूर सभा) क्वार्टर सं. सी/8, सेक्टर-6, राउरकेला-2, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा श्री राज बिहारी शर्मा, (18)—सदस्य भारतीय मजदूर संघ, 2/400, विद्याधर नगर,जयपुर-302023 श्री रामेंद्र कुमार, —सदस्य (19) अध्यक्ष,

झारखंड

अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस, भारतीय खान कर्मकार परिसंघ, सी/ओ युनाइटेड वर्क्स यूनियन, बुध बाजार, डाकघर भुरकुंडा-825301 जिला हजारीबाग.

> [सं. यू-23013/11/2015-एल.डबल्यु(बी.)] बिपिन मलिक, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2016

**S.O. 1295(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby appoints the following persons as members to the Central Advisory Contract Labour Board, except as provided otherwise, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (a) of rule 3 of the said rules:

(1) Shri Surabhi Bhoom Rao, Plot No.9, Mani Enclave, J J Nagar, Yapral, Secunderabad, Telangana — Chairman

Appointed under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (b) of rule 3 of the said rules:

(2) Chief Labour Commissioner (Central) Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi -Member, ex-officio

Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (c) of rule 3 of the said rules:

(3) Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment, Jaisalmer House, New Delhi-110011 —Member

(4) V	Vacant	—Member	
(5)	Vacant	—Member	
Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under clause (d) of rule 3 of the said rules:			
(6) V	acant	—Member	
(7) V	acant	—Member	
Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under clause (e) of rule 3 of the said rules:			
[	Shri R Mohan Das, Director (Personnel and Industrial Relations), Coal India Limited, 10, Netaji Subhas Road, Kolkata -700001	—Member	
I S I	Shri Sitanshu Prasad, Executive Director (Personnel and Administration), Steel Authority of India Limited, SpatBhavan, Lodi Road, New Delhi-110003	—Member	
(10)	Shri H. S. Pasricha, Chairman, Builder Association of India (Delhi Centre) Ministry of Urban Development NirmanBhavan, New Delhi-110011	—Member	
(11)	Vacant	—Member	
(12)	Vacant	—Member	
Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act under clause (f) of rule 3 of the said rules:			
(13)	Shri Rakhal Das Gupta General Secretary, Northeast Frontier Railway Mazdoor Union, Pandu, Guwahati-781012	—Member	
(14)	Shri B.C. Sharma Joint General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) 17-B, Chelmsford Road, New Delhi – 110 055	—Member	
(15)	Dr. Vivek Monteiro Secretary, Office of Mumbai Shramik Sangh, Quarry Road, Bhandup, Mumbai-400078	—Member	

(16) Shri Brij Behari Sharma,

BharatiyaMazdoorSangh, Budidiha, CTPS Road, Dugda, District Boakro,

Jharkhand

(17) Shri Rajendro Prasad Singha

General Secretary, Hind Khadan Mazdoor Federation

(Hind Mazdoor Sabha),

Quarter. No. C/8, Sector -6,

Rourkela-2, District Sundergarh,

Odisha

(18) Shri Rajbehari Sharma,

Bhartiya Mazdoor Sangh,

2/400, Vidyadhar Nagar,

Jaipur-302023

(19) Shri Ramendra Kumar,

President,

All India Trade Union Congress,

Indian Mine Workers Federation,

C/o United Works' Unions, Budh Bazar,

P.O. Bhurkunda-825301

District-Hazaribagh,

Jharkhand

—Member

-Member

—Member

-Member

[No. U-23013/11/2015-L.W. (B)] BIPIN MALLICK, Jt. Secy.